प्रारुप–11

परियोजना विवरण :– **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 70/2017 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के ग्राम धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.000 कि0मी0)।**

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर के अन्तर्गत **धारी से बाग्यो तक मोटर मार्ग** का नव निर्माण हेतु शा0सं0 3421/III(2)/18–10 (एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 17.07.2018 द्वारा 3.00 कि0मी0 हेतु लागत रू0 15.08 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है।

उक्त मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु संरेखण अधीक्षण अभियन्ता 8 वां वृत्त लो0नि0वि0 नई टिहरी द्वारा उनके पत्रांक सं0 4607/940 याता0–8/2019 दिनांक 11.07.2019 से स्वीकृत है एवं धारी से बाग्यो तक की दूरी लगभग 3.000 कि0मी0 है। जिससे ग्रामवासियो को 3.000 कि0मी0 की पैदल दूरी तय करनी पडती है। बाग्यो तक मोटर मार्ग ले जाने हेतु नाप भूमि के साथ–साथ सिविल वन भूमि की भी नितान्त आवश्यकता है बिना सिविल तथा आरक्षित वन भूमि के मार्ग का निर्माण संभव नही है एवं वर्तमान में ग्राम बाग्यो तक कोई वैकल्पिक मार्ग भी नही है। अतः इस ग्राम को संयोजित किया जाना औचित्यपूर्ण है। साथ ही ग्रामवासियों के लोकल प्रोडक्ट मार्केट में नही आ पाते हैं, और काश्तकारो को उनकी फसल का मोटर मार्ग उपलब्ध न होने के कारण लाभ नही मिल पाता हैं। इस मोटर मार्ग के बनने से जहां लोगो के जीवन स्तर में सुधार होगा वहीं राष्ट्र की सम्पन्नता में भी वृद्धि होगी। इसलिए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है।

अतः उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली **1.523 हे0** नाप भूमि, **0.4275 हे0** सिविल भूमि (0.060 हे0 डम्पिंग जोन सहित), **0.5635 हे0** आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल **0.9910 हे0** वन भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। जिस हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव, स्वीकृती प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अ0स0 अभियन्ता अ0ख0लो0नि0वि0 कीर्तिनगर	सहायक अभियन्ता अ0ख0लो0नि0वि0 कीर्तिनगर	अधिशासी अभियन्ता अ0ख0लो0नि0वि0 कीर्तिनगर